11/06/26

तकील वादी व प्रतिवादी संख्या 2,3 (1,2,3,4), 1/1/1, 1/1/2. उप0 शेष उपस्थित जिनकी ओर पदीय कार्यवाही हेतु वादी के मुख्य वकील कोटा उप0 छुट्टी होने से उनके सहायक अधि0 ने तजीद बहस हेतु आवश्यक समय चाहा। प्रकरण नौ वर्ष पुराना प्रकरण है तथा मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रकरणों में पहले नम्बर का प्रकरण का है जो आवश्यक प्रक्रिया पश्चात तजीद बहस हेतु 12/06/26 को पेश हो।

जिला न्यायाधीश
रामगंजमण्डी जिला कोटा